आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ.7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2021/135 दिनांक 15 अप्रैल, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने बाबत।

संदर्भः– गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 14.04.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न)के क्रम में लेख है कि कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 16.04.2021 से 30.04.2021 तक महाविद्यालयों में यू.जी./पी.जी. की नियमित कक्षाओं की गतिविधियां बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा समय सारणी अनुसार, परीक्षा कार्य यथावत जारी रहेगा।

इस अवधि के अन्तर्गत सह/सहायक आचार्य नियमित रूप से महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पूर्व की भांति अध्यापन हेतु आनलाईन मोड को अपनाते हुए पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

क्रमांकःएफ.7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2021/135 दिनांक 15 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी को अपलोड़ करने बाबत्।

15/4/21

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)